

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 19/6/26

विषय:- आपदा प्रबंधन विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **₹ 26,44,581/- (छब्बीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।
कार्यपालक अभियंताओं, द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 26,44,581/- (छब्बीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	32921	Remaining work of Interior work in Room No.-122 & 123 in Disaster Management Department at Old Secretariat, Patna for the year 2025-26	244 / 10.06.2025	12,04,448 / - (बारह लाख चार हजार चार सौ अड़तालीस रुपये)
2.	विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना	32917	SITC of Split AC, Computer Networking System, Telephone wiring and E/W & E/I in Room No.-122, 123 & 125A of Disaster Management Department at Ground Floor of Old Secretariat, Patna	244 / 10.06.2025	14,40,133 / - (चौदह लाख चालीस हजार एक सौ तेतीस रुपये)
कुल					26,44,581 / -

(छब्बीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ इक्यासी रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-39 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, **विपत्र कोड-39.2245801020005** के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0005.27.01-लघु कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्यवयन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, संबंधित भवन प्रमंडल पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।